

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)  
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 05 अगस्त, 2022


विषय: अमृत सरोवरों का सौन्दर्यीकरण केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा योजना के सामग्री मद से कन्वर्जेंस के माध्यम से कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर ग्राम्य विकास अनुभाग-7 व पंचायती राज अनुभाग-3 से संयुक्त रूप से जारी शासनादेश संख्या-245/अड़तीस-7-2022-46नरेगा/2019 व संख्या-723/33-3-2022-723/2022, दिनांक 27-04-2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अमृत सरोवरों के सौन्दर्यीकरण कार्यों में शासकीय धन का उपयोग नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में निदेशक, मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-11060/69/2022-आरई-VI(380329) दिनांक 21-07-2022(सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न) के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अमृत सरोवरों के सौन्दर्यीकरण केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा योजना के सामग्री मद से कन्वर्जेंस के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 27-04-2022 में दिये गये अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,  
  
( मनोज कुमार सिंह )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/अड़तीस-7-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, राजस्व, कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
7. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
8. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
10. जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

( मनोज कुमार सिंह )  
अपर मुख्य सचिव।

सं. 1284/38-7-2022

F.No. J-11060/69/2022-RE-VI (380329)

Government of India  
Ministry of Rural Development  
Department of Rural Development  
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

\*\*\*\*\*

Krishi Bhawan, New Delhi

Dated: 21<sup>st</sup> July, 2022

To

The Agriculture Production Commissioner  
Government of Uttar Pradesh  
9-10, Bahukhandi Bhawan,  
Secretariat, Lucknow

**Subject: Use of public fund for beautification works under Amrit Sarovar-reg.**

Sir,

Please refer your letter No. 48/ACSRD/PR/2022 dated 19.07.2022 regarding the subject. In view of the situation explained in the said letter, undersigned is directed to convey that works of the nature can be taken up by the State Government from Mahatma Gandhi NREGS or Central Finance Commission/State Finance Commission grants, subject to the permissibility of the said works under those schemes and, further, convergence between the Finance Commission Grants and Mahatma Gandhi NREGS may also be explored for prioritizing expenditure on material components from the former.

This issues with the approval of Competent Authority.

39831AUCD/m  
S.O-7, RD

M  
(मनोज कुमार सिंह)  
कृषि उत्पादन आयुक्त  
एवं अपर मुख्य सचिव,  
ग्राम निर्यात एवं संसाधन विभाग

02/8/2022  
02/8/2022

Yours faithfully,

Dharmvir Jha

Director (Mahatma Gandhi NREGA)